न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्रसिंह चांदावत (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 01/2024 **दायर दिनांकः— 23.01.2024**

प्रार्थी/परिवादी **बनाम** **अप्रार्थी/गैरसायल—**

1.खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

01. श्री दिलिप कुमार चौधरी पुत्र श्री भूराराम चौधरी, फर्म मैं0 श्री जोधपुर मिष्टान्न भण्डार, नागाणा सर्कल, कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा (विक्रेता)
02. श्री चुतराराम पुत्र खेताराम, फर्म मैं0 श्री जोधपुर मिष्टान्न भण्डार, नागाणा सर्कल, कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा (मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :—

1. श्री प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर उपस्थित
2. श्री दिलिप कुमार चौधरी पुत्र श्री भूराराम चौधरी, फर्म मैं0 श्री जोधपुर मिष्टान्न भण्डार, नागाणा सर्कल, कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा (विक्रेता) गैरसायल स्वयं उपस्थित
3. श्री चुतराराम पुत्र खेताराम, फर्म मैं0 श्री जोधपुर मिष्टान्न भण्डार, नागाणा सर्कल, कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा (मालिक) गैरसायल स्वयं उपस्थित

—::आदेश::—

दिनांकः— 12.03.2024

1. शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने **5 किलो जलेबी एक एल्यूमिनियम के भगोले में** आम जनता को विक्रय वास्ते रखी हुई थी। विक्रेता ने **उक्त जलेबी** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

2. न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक **23.04.2023 को लगभग 03.35 PM** पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **मैसर्स मैं0. श्री जोधपुर मिष्टान्न भण्डार, नागाणा सर्कल, कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा** पहुंचा। वहां निरीक्षण के दौरान **5 किलो जलेबी एक एल्यूमिनियम के भगोले में** रखी हुई थी। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित था, उससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। विक्रेता ने अपना नाम **श्री दिलिप कुमार चौधरी पुत्र श्री भूराराम चौधरी उम्र 26 वर्ष जाति जाट** बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास फर्म के मालिक चुतराराम, निवासी गवारियों का वास, कल्याणपुर होना बताया। इस बाबत् विक्रेता ने फर्म मालिक चुतराराम का आधार कार्ड की छायाप्रति एवं स्वयं की आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध करवाई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। विक्रेता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मांगा गया, जिन्होंने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर **5 किलो जलेबी एक एल्यूमिनियम के भगोले में** आमजन को विक्रय वास्ते रखी हुई थी। विक्रेता से पुछने पर पॉम ऑयल के तेल में बना होना बताया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसमें मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया और असल प्रति पर प्राप्ति की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर किये गये। प्रपत्र – 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता को सूचना दी गई कि यह जलेबी (पॉम ऑयल से बने हुए) का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वास्ते जॉच हेतु सेम्पल लिया जा रहा है। प्रपत्र – 5ए की असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न की गई है।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त **एल्यूमिनियम के भगोले में रखी हुई 5 किलों जलेबी** जो विक्रय हेतु रखी हुई थी। विक्रेता से पूछने पर बताया गया कि उक्त जलेबी पॉम ऑयल से बनी हुई है। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को शक होने पर उक्त जलेबी को अच्छी तरह से हिलामिलाकर में से **2 किलोंग्राम जलेबी (पॉम ऑयल से बनी हुई)** को तुलवाकर एक साफ–सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता व मालिक को **600/–** रुपये अक्षरे छः सौ रुपय नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए गये। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान को चार साफ, सूखे एवं खाली चौड़े मुंह के प्लास्टिक के बोतलें दिखाकर उक्त खरीदसुदा **जलेबी (पॉम ऑयल से बनी हुई)** को चार बराबर बराबर भागों में बांटकर चारों साफ सूखे एवं खाली बोतलों में डाला एवं प्रत्येक बोतलों में 40–40 बुंद फार्मलिन की बतोर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों नमूना बोतलों के ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता व मालिक एवं गह्वान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर का कोड व सिरियल नम्बर P-2031 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व मालिक व गह्वान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना डिब्बे पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोतलों पर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक P-2031 गोंद से उपर से लेकर नीचे तक गोलाई में चिपकाकर मजबूत धागे से बांधकर चार–चार जगह चपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया। चारों नमूना बोतलों पर श्रीमान डीओ के कोड व सीरियल P-2031 अंकित कर विवरण लिखा। जिस पर गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता व मालिक नें हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबन्द नमूना बोतलों को अपने जाब्तें में लेकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने भी पढकर,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

सुनकर एवं समझकर तथा सही मानकर हस्ताक्षर किये। साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना P-2031 सील बन्द किया था उसका निशान मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट पर अंकित किया उपरोक्त सभी कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता व मालिक के सामने मौके पर ही की गई। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

7. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना बोतलों को सील किया गया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न की गई। एक नमूना बोतल मय फार्म नं 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अगले कार्य दिवस जमा कराकर फार्म नं. 6 की पुस्ट भाग पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है तथा नमूने के द्वितीय एवं तृतीय सीलबन्द नमूना मय फार्म नं. 6 की दो प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्दकर, सील मोहर कर तथा शेष नमूने का चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सीलबन्द सीलमुहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को दिनांक 25.04.2023 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के **पत्रांक एफएसएसए/जांच रिपोर्ट/2023/785 दिनांक 27.02.2023** के साथ संलग्न जॉच रिपोर्ट संख्या **LS/1134/Act/2023/1175 दिनांक 10.05.2023** के द्वारा मालूम हुआ कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया सेम्पल **जलेबी (पॉम ऑयल से बनी हुई)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया तथा जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा मैसर्स श्री जोधपुर मिष्टान्न भण्डार, नागाणा सर्कल, कल्याणपुर जिला बालोतरा को भी रजिस्ट्रर्ड पत्र द्वारा भेजी गई। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व विश्लेषण सर्टिफिकेट, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9. प्रकरण से संबंधित असल मूल कागजात एवं छायाप्रतियां एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां वास्ते न्याय निर्णयन हेतु प्राधिकृत करने बाबत् श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये।

10. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया।

11. अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित होकर माफी नामा प्रस्तुत किया अर्थात प्रकरण निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अभिहित अधिकारी बालोतरा

हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत **अप्रार्थी सं 01 व 02** पर **15000/—रू अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये** शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर** के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान/नगद से राजकोष में निर्णय दिनांक **12.03.2024** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

13. निर्णय आज दिनांक **12.03.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
(राजेन्द्र सिंह चौहान)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

क्रमांक/एडीएम कोर्ट/2024/ दिनांक **12.03.2024**

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
3. विप्रार्थी सं. 01 श्री दिलिप कुमार चौधरी पुत्र श्री भूराराम चौधरी जाति जाट, फर्म मैं0 श्री जोधपुर मिष्टान्न भण्डार, नागाणा सर्कल, कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा विक्रेता
4. विप्रार्थी सं. 02 श्री चुतराराम पुत्र खेताराम, निवासी गवारियों का वारा कल्याणपुर, फर्म मैं0 श्री जोधपुर मिष्टान्न भण्डार, नागाणा सर्कल, कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा मालिक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा